

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त मुन्ना सिंह को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत मां वैष्णो फर्नीचर दुकान कस्बा बिहार से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 सत्यम तिवारी मय उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह, रि0का0 शंशाक सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत मां वैष्णो फर्नीचर दुकान कस्बा बिहार से 01 अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र तेज बहादुर निवासी ग्राम माघी चैनगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष को कुल 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मुन्ना सिंह के कब्जे से कुल 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 116/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुन्ना सिंह पुत्र तेज बहादुर निवासी ग्राम माघी चैनगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सत्यम तिवारी मय उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह, रि0का0 शंशाक सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नीरज सरोज को गिरफ्तार किया गया-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत लोसनापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह का0 शीशपाल सिंह, रि0का0 सुनील कुमार, रि0म0आ0 आंचल सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 64 (1)/351 (3) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त नीरज सरोज पुत्र राम सुचित सरोज निवासी ग्राम मोतीलाल का पुरवा समसपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोसनापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नीरज सरोज पुत्र राम सुचित सरोज निवासी ग्राम मोतीलाल का पुरवा समसपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह का0 शीशपाल सिंह, रि0का0 सुनील कुमार, रि0म0आ0 आंचल सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 45 पाउच लेमन ब्लू देशी शराब, 4 केन टूबर्ग बीयर व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त, का0 विनय यादव व रि0का0 संजीव कुमार द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान ग्राम डिहवा नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1.शिवकुमार वर्मा पुत्र रामचरण निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष 2.रवि वर्मा पुत्र इन्द्रजीत वर्मा निवासी ग्राम तुलईपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को 45 पाउच लेमन ब्लू देशी शराब व 4 केन टूबर्ग बीयर तथा 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 127/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. शिवकुमार वर्मा पुत्र रामचरण निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष ।
02. रवि वर्मा पुत्र इन्द्रजीत वर्मा निवासी ग्राम तुलईपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी-

45 पाउच लेमन ब्लू देशी शराब व 4 केन टूबर्ग बीयर, 01 अदद मो0सा0 बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त, का0 विनय यादव व रि0का0 संजीव कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा “हत्या का प्रयास” के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त मो0 दिलशाद व मो0 अतीक उर्फ मो0 आतिफ को 01 अदद आलाकत्ल बांस का डण्डा के साथ गिरफ्तार किया गया-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जेल के पीछे रेलवे कलोनी पूर्वी सहोदरपुर के पास से किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.05.2026 को वादी निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के साथ विपक्षीयण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डे से मारपीट की गई, जिसमें वादी के सिर में गंभीर चोट आई तथा बीच-बचाव करने आये उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 287/26 धारा 191(2)/115 (2)/352/351 (2)/110/109 (1) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान व का0 अनिकेत दिनकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 287/26 धारा 191 (2)/115(2)/352/351 (2)/110/109 (1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त 1.मो0 दिलशाद पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी रेलवे कॉलोनी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद उम्र करीब 30 वर्ष 2.मो0 अतीक उर्फ मो0 आतिफ पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी रेलवे कॉलोनी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत जेल के पीछे रेलवे कलोनी पूर्वी सहोदरपुर के पास से 01 अदद आलाकत्ल बांस का डण्डा के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो0 दिलशाद पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी रेलवे कॉलोनी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद उम्र करीब 30 वर्ष।
02. मो0 अतीक उर्फ मो0 आतिफ पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी रेलवे कॉलोनी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

अभियुक्त मो0 अतीक उर्फ मो0 आतिफ पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी रेलवे कॉलोनी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 0906/2015 धारा 323/354(क)/504/506 भा०द०वि० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि जिस डण्डे से हमलोग मारे है वह डण्डा वहीं पास मे जेल के पीछे रेलवे कालोनी पूर्वी सहोदर पुर पास के खण्डहर में छिपाया है आप चलिये तो मैं दिखा दूंगा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल हरे बास के डण्डे को कब्जे पुलिस में लिया गया।

बरामदगी- 01 अदद आलाकत्ल बांस का डण्डा ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान व का0 अनिकेत दिनकर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मानिकपुर के उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामलखन यादव द्वारा एनबीडब्ल्यू एसटी नं० 258/26, धारा 69 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त राकेश कुमार यादव पुत्र राम मनोहर यादव नि० अल्लौपुर बुखारी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राकेश कुमार यादव पुत्र राम मनोहर यादव नि० अल्लौपुर बुखारी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामलखन यादव थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त रोहित त्रिपाठी को किया गया गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत तिलौरी नहर पुलिया आम की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 युनुस खान मय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, का0 मंदीप सिंह,

रि0का0 सुनील तिवारी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत तिलौरी नहर पुलिया आम की बाग के पास से 01 अभियुक्त रोहित त्रिपाठी पुत्र अवधेश त्रिपाठी निवासी जोगधर काका पूरा, देवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र 25 वर्ष को कुल 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रोहित त्रिपाठी के कब्जे से कुल 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 150/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रोहित त्रिपाठी पुत्र अवधेश त्रिपाठी निवासी जोगधर काका पूरा, देवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 युनुस खान मय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, का0 मंदीप सिंह, रि0का0 सुनील तिवारी थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना हथिगवां पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 306 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त मनीष कुमार पाल को किया गया गिरफ्तार-

थाना हथिगवां पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पुरनेमऊ शेखपुर मार्ग से ग्राम डीहा खास पक्की सड़क मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के

नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ०नि० विवेक पाण्डेय मय हमराह हे०का० गंगासागर व का० विपिन सारस्वत द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत पुरनेमऊ शेखपुर मार्ग से ग्राम डीहा खास पक्की सड़क मोड़ के पास से ०१ अभियुक्त मनीष कुमार पाल पुत्र नन्हई पाल नि०ग्रा० पूरे डींगुर सिंह रायगढ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब २३ वर्ष को कुल ०१ किलो ३०६ ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त मनीष कुमार पाल के कब्जे से कुल ०१ किलो ३०६ ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना हथिगवां में मु०अ०सं० ८९/२०२६ धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

०१. मनीष कुमार पाल पुत्र नन्हई पाल नि०ग्रा० पूरे डींगुर सिंह रायगढ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब २३ वर्ष।

बरामदगी-

कुल ०१ किलो ३०६ ग्राम नाजायज गांजा बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विवेक पाण्डेय मय हमराह हे०का० गंगासागर व का० विपिन सारस्वत थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — ६३०७३६३१०७ पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।